न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/66/2020

प्रवेश तिथि 18.12.2020

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री दिनेश जैन पुत्र श्री जगन प्रसाद जैन, निवासी–ग्राम पोस्ट–रैणी, तहसील–रैणी, जिला–अलवर (राज0)–301409		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 04.01.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का विशुद्ध परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 16.10.2020 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग से पंचायत समिति रैणी अन्तर्गत 22 गांवों में से होकर गुजर रहे दिल्ली टू मुम्बई एक्सप्रेस हाइवे रोड के संबंध में किसानों के कितने कुऐ, कितने बोर (ट्यूबवेल), कितने पेड़ आये, किसानों को दिए गए मुआवजा संबंधी 03 बिन्दूओं पर सूचना चाही गई थी। आवेदन अनुसार सूचनायें नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 17.12.2020 के माध्यम से हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से पत्रांक आरटीआई/अपील ज./2020/5127 दिनांक 28.12.2020 के माध्यम से प्रेषित जवाब पर मनन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी का प्रथम आवेदन दिनांक 16.10.2020, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अनुसरण में निर्धारित समयावधि में पत्रांक 4379–80 दिनांक 19.10.2020 के माध्यम से तहसीलदार रैणी को अन्तरित किया गया। जिस पर तहसीलदार रैणी द्वारा पत्रांक भू.अ./2020/1927–28 दिनांक 02.12.2020 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ञ) के आलोक में इस आशय का विनिश्चय किया गया कि'' वांछित सूचना अत्यन्त विस्तृत होकर प्रश्नात्मक है जिसके संबंध में कार्यालय समय में उपस्थित होकर पत्रावली, अभिलेखों का निरीक्षण कर नियमानुसार सूचना प्राप्त की जा सकती है।''
7. पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थी के सूचना के आवेदन दिनांकः 16.10.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वांछित सूचना विशिष्टिविहीन, विस्तृत, खोजबीन कर सृजित किए जाने वाली एवं अत्यन्त श्रमसाध्य होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) एवं 6(1)(बी) के परिप्रेक्ष्य में देय नहीं है।
8. तहसीलदार रैणी द्वारा पत्र दिनांकः 02.12.20 के माध्यम से किया गया विनिश्चय विधिसम्मत है किन्तु सूचना आवेदन का निस्तारण, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) में निर्धारित समयावधि में नहीं किया गया है जो उचित नहीं है।
9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है। तहसीलदार रैणी को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में सूचना आवेदनों का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के तहत अतित्वरित निस्तारण किया जावे।
10. आज दिनांकः 04.01.2021 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ तहसीलदार रैणी को भी प्रेषित हो।
12. निर्णय घोषित ।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)